धनवा 18/06/2018

प्रपत्रः—8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,सिणधरी

(लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्पः—अटल सेवा केन्द्र, , धनवा

प्रकरण संः—242/2018

क्रमांकः—लो.अदा./2018/1556 दिनांकः—18.6.18

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरूस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी धनवा व भू.अ.नि. सिणधरी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम धनवा तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर की जमावन्दी संवत 2072—2075 में खाता संख्या 108 में वर्तमान को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैः—

क्र. स.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	धनवा	99	292	पंचाती पत्नी पदमा	पसाती देवी पत्नी पदमाराम शेष बदुस्तूर

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर,सिणधरी

क्रमांकः—लो.अदा./2018/1557-59 दिनांकः— 18/6/2018

प्रतिलिपिः—

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है,कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्रीमति पसातीदेवी पत्नी मानाराम निवासी धनवा तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी एव पदेन
सहायक कलक्टर,सिणधरी

Scanned by CamScanner